



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275971
CG-DL-E-03092026-275971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4673]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4673]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

का.आ. 4860(अ).— जबकि, मेसर्स आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स सब्सिडियरी लिमिटेड (एबीआरएसएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-4 आदित्य बिड़ला सेंटर, एस. के. अहिरे मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400018, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान में पवन - सौर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु मेसर्स एबीआरएसएल एवं मेसर्स एबीआरईएल (आरजे) प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/13/2026-Power Grid (MoP) दिनांक 09.01.2026 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान में पवन - सौर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु मेसर्स एबीआरएसएल एवं मेसर्स एबीआरईएल (आरजे) प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स सब्सिडियरी लिमिटेड (एबीआरएसएल) ने स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक नव ज्योति (हिंदी में) दिनांक 21.01.2026, द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 21.01.2026 और साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 14.02.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए नोटिस प्रकाशित किया था, जिसमें आम जनता से प्रकाशन की तिथि से 2 महीने के भीतर प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर अपनी टिप्पणियां/ अभ्यावेदन देने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, मेसर्स आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स सब्सिडियरी लिमिटेड (एबीआरएसएल) ने दिनांक 08.06.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मेसर्स आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स सब्सिडियरी लिमिटेड (एबीआरएसएल) ने दिनांक 05.06.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान में पवन - सौर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु मेसर्स एबीआरएसएल एवं मेसर्स एबीआरईएल (आरजे) प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली" के तहत

ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. एबीआरएसएल एवं एबीआरईएल (आरजे) प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का सोलर पीएसएस (ग्राम भाडली जिला जैसलमेर राजस्थान में स्थित) से फतेहगढ़-III (सेक्शन-II) (आईएसटीएस) पूलिंग स्टेशन - 400 केवी सिंगल सर्किट लाइन (कुल लाइन लंबाई लगभग 34 किमी है जिसमें से फतेहगढ़-III पीएस तथा सोलर पीएसएस के प्रत्येक छोर से लगभग 2 किमी लाइन डीसी टावरों पर होगी)
2. एबीआरएसएल एवं एबीआरईएल (आरजे) प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का विंड पीएसएस (ग्राम पूर्ण नगर जिला बाड़मेर राजस्थान में स्थित) से एबीआरएसएल एवं एबीआरईएल (आरजे) सोलर पीएसएस, 400 केवी सिंगल सर्किट लाइन, (कुल लाइन लंबाई लगभग 24 किमी है जिसमें से सोलर पीएसएस छोर से लगभग 2 किमी लाइन डबल सर्किट टावरों पर होगी)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील/तालुका	जिला	राज्य
1.	नीम्बा, सिकन्दराबाद, मण्डाई, सांवता, बोगनियाई, बरसिंगा, रणध्रा, मोढा, लखा, भाडली	फतेहगढ़	जैसलमेर	राजस्थान

2.	मतुओ की ढाणी, आन्तरा, स्वामी का गांव, सुजाणीयो का गाँव, काने का गांव, मूगेरिया, रासारातला, मांगीणी, बालासर, शिव, झरी, आकली, निम्बला, मण्डालिया, आदर्शबस्ती, जूणेजो की बस्ती, सुवाला, शिव भाखरी, रूधानाडा, सरस्वती नगर, लीकरी/लीकडी	शिव	बाड़मेर	राजस्थान
3.	चौखानियों की ढाणी, नांद, सुरा, जाणियावास, महादेवनगर, पूर्णनगर	बाड़मेर	बाड़मेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स सब्सिडियरी लिमिटेड (एबीआरएसएल) को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- vi. आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स सब्सिडियरी लिमिटेड (एबीआरएसएल) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 में दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/64/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 28th August, 2026

S.O. 4860(E).— Whereas M/s Aditya Birla Renewables Subsidiary Limited (ABRSL) having its registered address at A-4, Aditya Birla Center, S.K. Ahire Marg Worli, Mumbai – 400 030, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission System for Providing Connectivity to M/s ABRSL and M/s ABREL (RJ) Projects Limited for their wind – solar hybrid RE Projects in Rajasthan”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/13/2026-Power Grid (MoP) dated 09.01.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission System for Providing Connectivity to M/s ABRSL and M/s ABREL (RJ) Projects Limited for their wind – solar hybrid RE Projects in Rajasthan”.

M/s Aditya Birla Renewables Subsidiary Limited (ABRSL) had published notice for transmission scheme in local newspapers Dainik Nava Jyoti (in Hindi) dated 21.01.2026, The Indian Express (in English) dated 21.01.2026 and in Weekly Gazette of India dated 14.02.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two Months from the date of publication. Subsequently, M/s Aditya Birla Renewables Subsidiary Limited has submitted an affidavit dated 08.06.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the Newspapers & official Gazette of Government of India.

M/s Aditya Birla Renewables Subsidiary Limited (ABRSL) had submitted an Undertaking dated 05.06.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan/Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for Providing Connectivity to M/S ABRSL and M/S ABREL (RJ) Projects Limited for their wind – solar hybrid RE Projects in Rajasthan.” The following overhead line is covered under this scheme:

1. Solar PSS of ABRSL and ABREL (RJ) PL (Located in Village Bhadli, District Jaisalmer, Rajasthan) to Fatehgarh-III (Section-II) (ISTS) Pooling station 400 kV S/c line (total line length is about 34 km, out of which about 2 km of the line from each of Fatehgarh-III PS and Solar PSS ends would be on D/c towers).
2. Wind PSS of ABRSL and ABREL (RJ) PL (located in Village Poorn Nagar, District Barmer, Rajasthan) to Solar PSS of ABRSL & ABREL (RJ) PL 400 kV S/c line (total line length is about 24 km, out of which about 2 km of the line from Solar PSS end would be on D/c towers).

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Sr. No	Name of the Villages	Tehsil	District	State
1.	Nimba / Neemba, Sikendarabad, Mandai, Sanwata, Bogniyai, Barsinga, Randha, Modha, Lakha, Bhadli	Fatehgarh	Jaisalmer	Rajasthan
2.	Matuo Ki Dhani, Aantara, Swami Ka Gaon, Sujaniyo Ka Gaon, Kane Ka Gaon, Mungeriya, Rasaratala, Magini, Balasar, shoe,	Sheo	Barmer	

	Jhari, Aakli, Neembala, Mandaliya, Adarsh Basti, Junejon Ki Basti, Suwala, Shiv Bhakhri, Rooganada, Sarswati Nagar, Leekari			Rajasthan
3.	Chokhaniyon Ki Dhani, Nand, Sura, Janiyawas, Mahadev Nagar, Poorn Nagar	Barmer	Barmer	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Aditya Birla Renewables Subsidiary Limited (ABRSL) for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Aditya Birla Renewables Subsidiary Limited (ABRSL) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/64/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)